

ऑनलाइन सहकारी समिति के पंजीकरण के लिये F.A.Q.

प्रश्न-1: ऑनलाइन सहकारी समिति बनाने का मुख्य उद्देश्य?

उत्तर: ऑनलाइन सहकारी समिति बनाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है-

- 1- अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुये सहकारी सिद्धान्तों के अनुसार सदस्यों के आर्थिक हितों की उन्नति के लिये उद्योगों को चलाने हेतु तथा उसमें उपयुक्त होने वाले सामान को उपलब्ध करना तथा उत्पादित मॉल को बेचना ।
- 2- सदस्यों को उपरोक्त उद्योग सम्बन्धी आवश्यकताओं जैसे कच्चा मॉल तथा सामान बनाने में प्रयोग में आने वाली वस्तुओं को प्राप्त करना और उनको उत्पादन हेतु देना ।
- 3- तैयार मॉल की छटनी (ग्रेडिंग) करना तथा अपने मॉल की साख बाज़ार में स्थापित करने के लिये अन्य आवश्यक कार्य करना ।

प्रश्न-2: ऑनलाइन सहकारी समिति कहाँ गठित की जा सकती है ?

उत्तर: विवरण देखने हेतु यहाँ क्लिक करें (Link User Manual).

प्रश्न-3: ऑनलाइन सहकारी समिति के गठन की क्या प्रक्रिया है ?

उत्तर: विवरण देखने हेतु यहाँ क्लिक करें (Link User Manual).

प्रश्न-4: क्या ऑनलाइन सहकारी समिति का निबन्धन ऑन-लाइन माध्यम से किया जा सकता है ?

उत्तर: हाँ, यह प्रक्रिया विभागीय वेबसाइट www.upkvib.gov.in एवं e-District Portal के माध्यम से की जा सकती है।

प्रश्न-5: ऑनलाइन सहकारी समिति निबन्धन हेतु ऑनलाइन आवेदन किसके द्वारा किया जायेगा ?

उत्तर: इच्छुक सदस्य सामान्य सहमति से समिति गठन की अग्रेतर कार्यवाही हेतु एक मुख्य प्रवर्तक का चुनाव करेंगे एवं चयनित मुख्य प्रवर्तक द्वारा समिति निबन्धन हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी अधिक जानकारी हेतु यहाँ क्लिक करें (Link User Manual).

प्रश्न-6: क्या ऑनलाइन माध्यम से समिति निबन्धन हेतु आवेदन करने का कोई अतिरिक्त शुल्क देना होगा ?

उत्तर: ऑनलाइन आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं देना है। शासनादेश के अनुसार केवल समिति निबन्धन का शुल्क ट्रेजरी चालान (ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन) के माध्यम से जमा करना होगा जो कि ₹ 50 निर्धारित है।

प्रश्न-7: ऑनलाइन आवेदन करने के लिये मुख्य प्रवर्तक को क्या करना होगा ?

उत्तर: ऑनलाइन आवेदन करने के लिये मुख्य प्रवर्तक को विभाग की वेबसाइट www.upkvib.gov.in अथवा e-District के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण करने के लिये मुख्य प्रवर्तक को अपना नाम, पिता का नाम, आयु, वर्ग, पत्राचार का पता, आधार नंबर एवं मोबाइल नम्बर अंकित करना होगा। पंजीकरण के उपरान्त मुख्य प्रवर्तक के मोबाइल पर यूजरनेम एवं पासवर्ड SMS के माध्यम से प्राप्त होगा। तत्पश्चात् लॉग इन कर निर्धारित प्रारूप में समस्त विवरण भरकर एवं आवश्यक संलग्नक अपलोड कर अन्तिम रूप से सबमिट करना होगा। सफलता पूर्वक सबमिट होने के पश्चात् आवेदक के मोबाइल पर SMS के द्वारा आवेदन संख्या (Application-ID) प्राप्त होगी। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी।

प्रश्न-8: ऑनलाइन आवेदन कैसे भरें ?

उत्तर: ऑनलाइन आवेदन भरने के दिशा निर्देश देखने के लिये यहाँ क्लिक करें (Link User Manual).

प्रश्न-11: क्या ऑनलाइन आवेदन अन्तिम रूप से सबमिट करने के पश्चात् उसमें कोई सुधार सम्भव होगा? यदि हाँ तो कैसे?

उत्तर: ऑनलाइन आवेदन अन्तिम रूप से सबमिट करने के उपरान्त मुख्य प्रवर्तक द्वारा कोई सुधार सम्भव नहीं होगा।

प्रश्न-9: ऑनलाइन आवेदन सफलता पूर्वक सबमिट करने के उपरान्त मुख्य प्रवर्तक को क्या करना होगा ?

उत्तर: ऑनलाइन आवेदन सफलता पूर्वक सबमिट करने के उपरान्त आवेदक को "Print Application" का विकल्प दिखाई देगा. मुख्य प्रवर्तक को चाहिए कि आवेदन की एक प्रति प्रिंट कर अपने पास भविष्य में सन्दर्भ हेतु सुरक्षित रख ले. प्राप्त आवेदनों एवं संलग्नकों की जाँच विभाग द्वारा चरणबद्ध तरीके से की जायेगी जिसकी सूचना समय-समय पर आवेदक को SMS के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी। इसके लिए मुख्य प्रवर्तक को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

प्रश्न-10: ऑनलाइन आवेदनों पर चल रही विभागीय प्रगति की जानकारी आवेदक (मुख्य प्रवर्तक) को किस प्रकार प्राप्त होगी.

उत्तर: प्राप्त आवेदनों एवं संलग्नकों की जाँच विभाग द्वारा चरणबद्ध तरीके से की जायेगी जिसकी सूचना समय-समय पर आवेदक के पंजीकृत मोबाइल पर SMS के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी। इसके लिए मुख्य प्रवर्तक को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त आवेदक पोर्टल पर उपलब्ध "Application Status" लिंक पर क्लिक कर आवेदन संख्या (Application-ID) भर कर आवेदन की वर्तमान स्थिति देख सकते हैं.

प्रश्न-11: ऑनलाइन आवेदन में जाँच के दौरान विभाग द्वारा आपत्ति होने पर मुख्य प्रवर्तक को क्या करना होगा?

उत्तर: आपत्ति होने पर विभाग द्वारा SMS के माध्यम से सूचित किया जायेगा तत्पश्चात् मुख्य प्रवर्तक द्वारा निर्धारित तिथि के अन्दर त्रुटि को सही करके पुनः आवेदन सबमिट करना होगा।

प्रश्न-12: निबन्धन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये मुख्य प्रवर्तक को क्या करना होगा ?

उत्तर: जाँच के उपरान्त सही पाये गये आवेदनों की समितियों का निबन्धन प्रमाण-पत्र **मुख्य कार्यपालक अधिकारी** द्वारा निर्गत किया जायेगा, जिसे डिजिटली साइन करके मुख्य प्रवर्तक के Panel पर उपलब्ध करा दिया जायेगा और इसकी सूचना मुख्य प्रवर्तक को SMS के माध्यम से दे दी जायेगी, मुख्य प्रवर्तक login करके निबन्धन प्रमाण-पत्र डाउनलोड कर सकता है।